SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Before taking up the business, I want to raise a matter which concerns some qestions which Shri Lakkappa and I had tabled, regarding Shri Brijlal Verma's producing a forged report. This question came in the papers.

MR. SPEAKER: I will find out.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): He was quarantined. It came in the newspapers. It is neither admitted as starred question nor is it admitted as an unstarred question.

MR. SPEAKER: I have said that I shall look into the matter. We take up 377 matters.

13.08 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Purchase of Coal-Handling Plant, etc. by Western Coalfields, Nagpur

श्री सुभाष आहूजा बेतूल) : अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी अनुमति से धारा 377 के अंतर्गत वैस्टर्न कोल फील्ड्स नागपुर क अंतर्गत होने वालें भारी गोल-माल की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । होना तो यह चाहिए था कि राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के रेट कम होते परन्तु मैं इसमें अपनी नीतियों को दोष नहीं दूंगा । मैं राष्ट्रीयकरण के लिए आक्षेप नहीं करूंगा । इसमें दोष हमारा है क्योंकि हमने अपनी मशीनरी को टाइट नहीं किया और लगाम को ढीली छोड़ दिया जिसके कारण हर साल, सामानों की खरीद में लाखों रुपए का गोलमाल होता है । आज मैं एक ऐसा मामला रख रहा हूं जिसमें जल्दी ही वहां बहुत बड़ी खरीद की जाने वाली है, 1 करोड़ रुपए की परचेजिंग दो तीन दिन में होने वाली है और उसके आर्डर दिए जाने वाले हैं जिसमें लाखों रुपए का घोलमाल है ।

वैस्टर्न कोल फील्डस नागपुर के अन्तर्गत बाजार से कोल हैंडलिंग प्लांट एवं अन्य सामान खरीदने हेतु 27-28 जुलाई और 11 अगस्त को जो टैन्डर खोले गए थे उनके अन्तर्गत करीब एक करोड़ रुपए की लागत का सामान खरीदा जाना है । उपरोक्त सामान की खरीदी में भारी भ्रष्टाचार और पक्षपात होने की सूचना मिली है ।

कोल हैंडलिंग प्लांट एवं रालर्स की खरीदी हेतु रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी को करीब तीस-बत्तीस लाख रुपए के आर्डर दिए जाने वाले हैं । यह सामान 5 प्रोजेक्टों के लिए 5 कम्पलीट कोल हैंडलिंग सिस्टम खरीदा जा रहा है । दूसरी कम्पनियां जैसे न्यू इंडिया कन्वेयर कम्पनी एवं अशोका इंडस्ट्री में यही सामान कम कीमत पर देने का आफर किया है । वैस्टर्न कोल फील्ड कम्पनी के इंस्पेक्टर जिन्होंने कि उपरोक्त तीनों कम्पनियों का निरीक्षण किया है, तीनों को ही एक ही स्तर का मानते हैं जिसकी रिपोर्ट उन्होंने टैन्डर कमेटी के समक्ष श्री माथुर द्वारा प्रस्तुत करायी ।

13.10 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

उषा ब्रेको कम्पनी को लगभग 25-26 लाख रुपए के आर्डर दिए जा रहे हैं जबकि इनके आफर ऊंचे हैं और इन्होंने आज तक वैस्टर्न कोल फील्ड में एक भी कोल हैन्डलिंग प्लान्ट या कन्वेयर सप्लाई नहीं किया है । यह भी सूचना है कि उक्त कम्पनी ने पिछले 6-7 सालों में कहीं भी एक भी कोल हैन्डलिंग प्लांट सप्लाई नहीं किया है ।

अभी रोलर खरीदने का निर्णय नहीं लिया गया है जबकि इसमे भी भारी गोल-माल की सम्भावना है ।

उदाहरणार्थ, कुछ समय पूर्व कन्वेयर बेलटिंग की खरीदी में भारी गोल- माल हो चुका है। ऐसा है यह जनता में चर्चा का विषय कि जिन्दल कम्पनी को पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाकर 34 लाख रुपए का आर्डर दिया गया तथा उसे अन्य सुविधायें भी उपलब्ध कराई गई। जबकि पूना रबर कम्पनी को सिर्फ 60–70 हजार रुपए के आर्डर दिए गए, जबकि इस कम्पनी के मूल्य जिन्दल कम्पनी से कम थे और क्वालिटी भी जिन्दल कम्पनी से अच्छी मानी जाती है। पूना रबर कम्पनी माल सप्लाई न कर सके इस हेतु इनके आर्डर के साथ कड़ी शर्तें जोड़ी गई थीं और उनका पेमेन्ट भी 6 माह की अवधि तक रोका गया था, जबकि जिन्दल कम्पनी के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं थी। यह कम्पनी भी वेस्टर्न कोल फील्ड के लिए नयी कम्पनी है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान सदन के माध्यम से उपरोक्त विषय को दिलाना चाहता हूं।

जो एक करोड़ के आर्डर होने हैं उसकी पूरी जांच कराई जाए। यदि जांच करान के बाद यह उत्तर मिले कि माल का उत्पादन सतत् बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस कम्पनी का माल खरीदें तो यह सरासर देश की जनता के साथ अन्याय होगा, उन बेचारे लाखों कोल मजदूरों के साथ अन्याय होगा। जो हर रोज रात दिन मेहनत करते हैं उनको यह कहकर सांत्वना दे दी जाए कि कोल का सतत उत्पादन बनाए रखने के लिए इस कम्पनी से माल खरीद सकते हैं और इस कम्पनी से नहीं खरीद सकते - इस प्रकार का उत्तर मिलता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले की जांच करायें, एक करोड़ के आर्डर जो दो चार दिन में दिए जाने वाले थे उनकी जांच करा कर सारे कम्पनियों के रेट्स काल हों और उचित मूल्य पर सामान खरीदा जाए।

SHRI VASANT SATHE (Akola): On a point of order, Sir. Kindly read rule 377. Does the Speaker have any criteria for giving his consent or refusing his consent?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is for the Speaker to decide. You cannot question that.

SHRI VASANT SATHE: Rule 377 says:

> "A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretry in writing stating briefly the point he wishes to raise in the House together with the reasons for wishing to raise it and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix."

So, if you see the spirit of it, it is not an arbitrary matter for the Speaker to reject. I have been repeatedly giving notice about the threat of pollution to Taj. How is it that my notice has always been rejected?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may meet the Speaker and discuss the matter with him. Unless he gives permission to raise it, it cannot be raised here. It depends on what the Speaker considers more important. Mr. Chakravarty.

13.13 hrs.

(ii) MAL-TREATMENT OF A TEAM OF GIRL STUDENTS FORM CACUTTA BY RAILWAY EMPLOYEES.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): I thought he was objecting to my raising this matter. I have gone through all the legal formalities required under rule 377. Sir, 49 girl students of Jogmaya Devi College affiliated to the Calcutta University, along with two teachers as guides, started for Dehra Dun by the 61 Up Janata Express on 30th October, 1977. They paid the necessary fees, and were allotted a 40-seater compartment by the Chief Reservation Supervisor, Howrah. On the same day after the train started, at about midnight a group of hooligans entered and tried to maltreat the girls. The teachers and attendants, on hearing the wails and cries